



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 1771/2018**

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
मनसुख करेला वार्ड-20] अमरपुरा बास] भीनासर, Bikaner, Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव राजस्थान राज्य सूचना आयोग झालाना लिंक रोड Jaipur

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**निर्णय**

**दिनांक : 03/04/2018**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री एस. एल. मलिक, राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 03-03-2017 के द्वारा अपील संख्या 2244/2016 निर्णय के बिन्दु संख्या 5 में संदर्भित पत्र दिनांक 15-10-2015 की प्राप्ति की रसीद की प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 01-06-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना पत्र दिनांक 31-10-2015, 05-04-2017, 02-06-2017 से प्रेषित की जा चुकी है। अपीलोत्तर दिनांक 23-03-2018 के साथ पुनः सूचना निःशुल्क भिजवाई जा चुकी है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 23-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।
7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है जो बलहीन है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)  
मुख्य सूचना आयुक्त